भारत में चुनाव :-> Election in India.

Introduction :-> परिचय :—

निर्वाचन लोकतंत्र का आधार है और यह एक बैरोमीटर की तरह है जो जनता की इच्छा से भली-भाँति परिचित है। नाथ कुंजरू के अनुसार :— "अगर निर्वाचनतंत्र दोषपूर्ण है या निष्पक्ष नहीं है या गैर-ईमानदार लोगों द्वारा संचालित होता है तो लोकतंत्र अपने उद्भव काल में ही डगमगा जाएगा", भारतीय संविधान निर्माताओं ने निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचनों की आवश्यकता का अनुभव कर कनाडा का अनुसरण किया और निर्वाचन को संवैधानिक मान्यता दी है, जो कि संविधान की भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के के अंतर्गत रखा गया है, राज्य विधान-सभा, लोकसभा स्थानीय संस्थाओं में समय-समय पर निर्वाचन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पड़ने पर मध्यावधि में भी चुनाव कराए जाते हैं।

भारत में चुनावों का इतिहास :-> भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को नाममात्र ही शामिल किया गया था। ब्रिटिश क्राउन ने 1858 में भारतीय भारतीय शासन को सीधे अपने हाथों में ले लिया और ब्रिटिश सरकार की कानून निर्माण प्रक्रिया में जनता का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करने के लिए, कानून की आवश्यकता महसूस हुई ताकि नौकरशाही की कार्य कुशलता बढ़ सके। सन् 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम में इस कानून को स्थान दिया गया। वस्तुतः निर्वाचन की माँग की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के बाद से हुई। भारतीय परिषद अधिनियम, 1882

Scanned with OKEN Scanner

से भारतीय निर्वाचन की शुरुआत हुई। इस कानून द्वारा केन्द्रीय विधायी परिषद तथा प्रान्तीय परिषद की कुछ गैरशासकीय सीटों के लिए अप्रत्यक्ष व सीमित रूप से निर्वाचन का पहली बार प्रावधान किया गया। अतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया का विकास लोकतांत्रिक नहीं था।

भारतीय चुनाव प्रणाली में प्रमुख समस्याएँ तथा चुनौतियाँ

भारत में चुनावी प्रक्रिया को लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं। जिनमें प्रमुख समस्याएँ एवं चुनौतियों का उल्लेख निम्नलिखित है:—

1. धन शक्ति (Money Power)
2. निर्वाचन राजनीति एवं सार्वजनिक व्यय :—
3. राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या
4. निर्वाचकों की अनुपस्थिति
5. निर्वाचन नामावलियों से संबंधित त्रुटियां
6. कार्मिकों पर राजनीति व दबाव अथवा उनकी राजनीतिक आसक्ति
7. मत और परिणाम के मध्य असंतुलन
8. स्नायु शक्ति (Muscle Power)
9. राजनीति का अपराधीकरण ~~तथा~~ अपराधियों का राजनीतिकरण
10. सरकारी मशीनरी का उपयोग
11. अप्रभावी निर्दलीय उम्मीदवार
12. विधिहीन आचार संहिता
13. सरकारी मीडिया का दुरुपयोग
14. जातिवाद (Casteism)
15. मतदाता पहचान पत्र संबंधी त्रुटियाँ
16. साम्प्रदायिकता
17. राजनीति में नैतिक मूल्यों का अभाव
18. लाभ का पद सम्बन्धित विवाद

Scanned with OKEN Scanner

चुनावी सुधार की आवश्यकता :→ चुनावी सुधारों की आवश्यकता भी मुख्य रूप से दुर्भावनापूर्ण लोगों तथा उनमें शामिल दोषपूर्ण गतिविधियों को दूर करने के कारण अनुभव की गई है। निम्नलिखित रूप में :-

1) राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाना
2) सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक लगाना।
3) चुनावी प्रक्रियाओं में योगदान करने के लिए धन तथा बाहुबल को हतोत्साहित करना।
4) गैर-गंभीर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए हतोत्साहित करना।
5) चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए।
6) चुनावी प्रक्रियाओं के प्रति नागरिकों की दृष्टि से विश्वास बढ़ाना।
7) चुनाव प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए तथा आधुनिक समय की पद्धतियों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को नियोजित करना।
8) कुछ उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ते हैं, इसलिए यह समय की मांग है कि उम्मीदवारों को अपने दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव पर होने वाले व्यय का भुगतान करना अनिवार्य हो जाता है।

//